न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 35/2022 बउनवानी सुखजी लाल बरैवा बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर/
पुत्र श्री भागीरथ बैरवा निवासी पिलवा नदी, तहसील मलारना डूँगर तहसीलदार मलारना डूँगर
GCMS No-2022/61

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिल कलेक्टर/तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 01.01.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिल कलेक्टर/तहसीलदार मलारना डूँगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. कार्यालय तहसीलदार भू.अ. मलारना डूँगर पटवार हल्का चक बिलोली ग्राम पिलवा नदी दिनांक 12.5.1976 खसरा नम्बर 705/1 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि बंजड दोयम जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. कार्यालय तहसीलदार भू.अ. मलारना डूँगर पटवार हल्का चक बिलोली ग्राम पिलवा नदी दिनांक 12.5.1976 खसरा नम्बर 705/1 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि बंजड दोयम के 12.5.1976 अलॉटमेंट की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. श्रीमान उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के हस्व राव कमेटी प्रार्थी का आराजी ख.न. 705/1 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि आवंटन कमेटी खसरा नम्बर की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिल कलेक्टर/तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिल कलेक्टर/तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिल कलेक्टर मलारना डूँगर के पत्रांक रीडर/सू.अधि. / 2022/3768 दिनांक 20.4..2022 से अपीलान्ट को ग्राम पिलवा नदी के ख0न0 705/1 की सम्वत् 2029 से 2036 वर्ष 1972 से 1979 की जिमन नम्बर–1 जमाबन्दी की आंशिक नकल व नक्शा ट्रेस की नकल तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 296 दिनांक 31.1.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा अपीलान्ट को यह भी अवगत कराया जा चुका है कि आवंटन दिनांक 12.5.1976 का जमाबन्दी में अंकन नही होने से तथा अंकन संबंधी कोई दस्तावेज कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। इस प्रकार वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.1.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,2,3 की आंशिक सूचना जिसमे ख0न0 705/1 की [illegible] जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस अपीलान्ट को तहसीलदार मलारना डूँगर के पत्रांक 296 दि[illegible]976 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष सूचना के संबंध मे अपील[illegible] जा चुका है कि आवंटन आदेंश दिनांक 12.5.1976 का जमाब[illegible]मे अंकन नही [illegible] कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। चूंकि कार्यालय मे उपलब्ध सू[illegible] करवायी जा चुकी है[illegible] स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल [illegible] होकर नम्बर से क[illegible] एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:19:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर